न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./48/2023

1. कालू उर्फ राधाकिशन पुत्र श्री रायमल जाति जाट निवासी ग्राम देवलियांकलां तहसील भिनाय केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. रमेश पुत्र श्री लादू जाति अहीर निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री लादू जाति अहीर निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय
3. महावीर पुत्र श्री लादू जाति अहीर निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय
4. सुरेश पुत्र श्री लादू जाति अहीर निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय
5. संजय पुत्र श्री लादू जाति अहीर निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय
6. शंकरलाल पुत्र श्री बद्री जाति कुमावत निवासी खेड़ी तहसील भिनाय
7. रामदेव पुत्र श्री रामस्वरूप जाति यादव निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय
8. शिवराज पुत्र चन्द्रा जाति यादव निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः–26.12.2023

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– विष्णुदत्त शर्मा

2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा देवलियाकलां पटवार क्षेत्र देवलियाकलां ए भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियाकलां के खाता सं0 1700 में दर्ज खसरा नं. 3378 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 3379 रकबा 3.87 और खसरा नम्बर 3388 रकबा 0.16 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 4.04 है0 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 09 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 08 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 12.12.2023 को पत्रावली में अप्रार्थी सं0 01 लगायत 08 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम देवलियांकलां के खाता खंख्या 1700 संवत 2073–2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा देवलियाकलां पटवार क्षेत्र देवलियाकलां ए भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियाकलां के खाता सं0 1700 में दर्ज खसरा नं. 3378 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 3379 रकबा 3.87 और खसरा नम्बर 3388 रकबा 0.16 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 4.04 हैं0 हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
भिनाय (केकड़ी)

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)